143

विज्ञापित विज्ञापित

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–रीवा निगरानी 1720-II-15

श्री दिवाकर दीक्षित को द्वारा आज दि. 27-6-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-6-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दिवाकर दीक्षित
एडवो 27-6-15

1– भगवान प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामखिलावन कुर्मी
2– हनुमान प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामखिलावन
3– सूर्यदीन पटेल पुत्र स्व. श्री रामखिलावन
4– रामदरस पुत्र श्री भगवान प्रसाद कुर्मी
5– जगदीश प्रसाद पुत्र श्री भगवान प्रसाद
6– अयोध्या प्रसाद पुत्र श्री भगवान प्रसाद
7– रामसंजीवन पुत्र श्री भगवान प्रसाद
8– केमला प्रसाद पुत्र श्री भगवान प्रसाद
निवासीगण – साकिन भोडहा तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)
शोभनाथ मृत द्वारा वारिसान
9– अमृतलाल पुत्र श्री नर्वदा प्रसाद पटेल
10– शिवकुमार पुत्र श्री नर्वदा प्रसाद पटेल
निवासीगण – दुबंगवा कुर्मियान तहसील मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)
11– दसौदी पटेल पत्नी परमसुख पटेल
12– राजेश पटेल पुत्र परमसुख पटेल नाबालिग जरिये बलि माता दसौदी पटेल निवासीगण – साकिन भोडहा तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– कमलेश्वर प्रसाद पुत्र महावीर कुर्मी
2– तिजौआ वेवा पत्नी महावीर कुर्मी
3– रामनाथ पुत्र श्री नर्मदा प्रसाद कुर्मी
4– सत्यनारायण तनय सरजो प्रसाद कुर्मी
5– हिन्छलाल तनय सरजो प्रसाद कुर्मी
लालमणि पुत्र बृजभान कुर्मी मृतक द्वारा वारिसगण
6– रामयश पटेल पुत्र स्व. लालमणि पटेल
7– जगन्नाथ पुत्र श्री तेजा कुर्मी
8– जागेश्वर प्रसाद श्री तेजा कुर्मी
9– रामकुमार श्री तेजा कुर्मी
10– मंगल प्रसाद श्री तेजा कुर्मी
11– मु0 निहलुआ पत्नी तेजा कुर्मी
12– देवेन्द्र पुत्र श्री जमना कुर्मी
बेजनाथ पुत्र जमना कुर्मी मृतक द्वारा वारिस

13– गुलबिया वेवा स्व. बैजनाथ पटेल
14– वीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. बैजनाथ पटेल
15– सुरेश कुमार पुत्र स्व. बैजनाथ पटेल
16– समरिया पिता स्व. बैजनाथ पटेल
17– रामरती पिता स्व. बैजनाथ पटेल
18– कैलशुआ पिता स्व. बैजनाथ पटेल
19– पंचवती पिता स्व. बैजनाथ पटेल
20– बिलसिया पिता स्व. बैजनाथ पटेल
बुद्धी पुत्र रामनाथ कुर्मी मृतक विधिक वारिसगण
21– भुवनेश्वर पिता स्व. बुद्धसेन पटेल
रामेश्वर पिता स्व. बुद्धसेन पटेल मृतक द्वारा वारिसान
22– मु0 छोटी पति स्व. रामेश्वर प्रसाद
23– मनीष कुमार पिता स्व. रामेश्वर प्रसाद
24– लवकुश पिता स्व. रामेश्वर प्रसाद बलि माता मु0 छोटी
25– निर्मला पिता स्व. रामेश्वर प्रसाद
26– प्रमिला पिता स्व. रामेश्वर प्रसाद बलि माता छोटी
27– केशव प्रसाद पिता स्व. बुद्धसेन पटेल
28– माधव पुत्र राममनोरथ कुर्मी सभी निवासी – साकिन भोडहा तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 1022/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.05.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवदेकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आवेदकगण की अपील को मात्र इस आधार पर निरस्त कर दिया था। कि उक्त अपील प्रकरण में कुसंयोजन का दोष है, जबकि वास्तविकता यह है कि आवेदकगण द्वारा मृतको की जानकारी होने पर विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने बावत् आवेदन पत्र जानकारी दिनांक से समय सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत कर दिया था। ऐसी स्थिति में अपील प्रकरण में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष नहीं रह गया था। जिसपर विधिवत् विचार किये बिना जो आदेश पारित किया गया है वह विधि के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि में यदि कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे न्यायहित में ग्राह्य कर प्रकरण का निराकरण गुण दोषों के आधार पर किया जाना चाहिये। जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 1720–दो/2015 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
25-10-2017	पूर्व पेशी पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकगण के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 1022/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–5–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम भोड़हा की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 9 पर आदेश दिनांक 4–8–1998 से किये गये बटवारे के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने प्रकरण कमांक 36 अ–6/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–5–13 से अपील इस आधार पर निरस्त कर दी, क्योंकि उत्तरवादी कमांक 6, 10 की मृत्यु होने के वाद उनके विधिक वारिसान को समयावधि में पक्षकार बनाने हेतु अपीलांट्स ने आवेदन नहीं दिया है जिसके कारण अपील को उपसमन Abate मानकर समाप्त कर दिया गया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1022/12–13 अपील को आदेश दि0 29–5–15 से निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत् रखा है। 3/ अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष प्रस्तुत अपील कमांक 36 अ–6/12–13 के उन्मान के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपील में कुल 10 अपीलार्थी हैं एंव 15 उत्तरवादी हैं । उत्तरवादी कमांक 6, 10 की मृत्यु होने एंव उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर समयावधि	

में लेने वावत् आवेदन समयवाह्य प्रस्तुत होने के कारण क्या संपूर्ण अपील Abate उपसमित हो जावेगी। यदि उत्तरवादी कमांक 6, 10 की मृत्यु होने एंव उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने वावत् आवेदन समयवाह्य प्रस्तुत होना पाया गया है तब उत्तरवादी कमांक 6, 10 के हित तक अपील Abate उपसमित होगी, इसका लाभ अन्य उत्तरवादीगण प्राप्त करने के पात्र नहीं है । उत्तरवादी कमांक 6, 10 की मृत्यु होने एंव उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर समयावधि में लेने वावत् आवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं हुआ है तब विलम्ब के सम्बन्ध में दिये गये कारणों पर न्यायदान की दृष्टि से एंव ग्रामीण कृषकों को कानून की यथोचित जानकारी न होने के आधार पर विलम्ब क्षमा किये जाने पर उदारतापूर्वक रूख अपनाते हुये विचार किया जाना चाहिये, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने इस पर गौर न करने में भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1022/12—13 अपील में पारित आदेश दिनांक 29—5—15 एंव अनुविभागीय अधिकारी हनुमना व्दारा प्रकरण कमांक 36 अ—6/12—13 अपील में पारित आदेश दिनांक 29—5—13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी हनुमना की ओर से इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह समस्त हितबद्व पक्षकारों को गुणदोष के आधार पर सुनकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

सदस्य